प्रेस नोट

थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर **दिनांक 15.04.2024**

थाना जलालपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले 02 अभियुक्त अवैध शस्त्र व अवैध शस्त्र निर्माण करने वालें उपकरणों सहित गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन वर्ष 2024 को सकुशल सम्पन्न करायें जाने के दृष्टिगत अपराध नियन्त्रण एवं अवैध असलहों के निर्माण, बिक्री व संचालन के विरुद्ध चलायें जा रहें अभियान के क्रम में थाना जलालपुर पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमण में मामूर थी कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना जलालपुर क्षेत्र चन्दा डेरा रोड पथरी के जंगल में कुछ लोग नाजायज असलहा बना रहे है। मुखबिर खास की सूचना के विश्वास कर आज दिनांक 15.04.2024 को समय करीब 06.15 बजे प्रातः थाना जलालपुर पुलिस द्वारा दबिश देकर चन्दा डेरा रोड पथरी के जंगल बबूल के पेड़ के नीचे थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर से अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहे 02 अभियुक्त 1.चन्द्रभान विश्वकर्मा पुत्र बाबूराम विश्वकर्मा निवासी ग्राम सरसई थाना राठ जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 54 वर्ष) 2. विन्दा राजपूत पुत्र महिपाल राजपूत निवासी ग्राम टोला रावत थाना मझगवां जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 55 वर्ष) को भारी मात्रा में अवैध निर्मित व अर्द्धनिर्मित शस्त्र/कारतूस तथा भारी मात्रा में शस्त्र बनाने वाले उपकरणों सहित मौके से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना जलालपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 70/2024 धारा 5/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पूछताछ विवरणः- अभियुक्त 1.चन्द्रभान विश्वकर्मा व 2. विन्दा राजपूत उपरोक्त से पूछताछ के दौरान बताया गया कि उन लोगो के द्वारा स्थान बदल-बदल कर विशेषकर जंगलों या खेतों में एकान्त में बने किसी कोठरियों, ट्यूवेल जैसे सुरक्षित स्थानों का चयन करके तमंचा का निर्माण करते है तथा तंमचो को घूम फिरकर मध्य प्रदेश व आस-पास के जनपदों में ले जाकर अच्छे दामों पर बेचा करते है। उससे जो भी धन प्राप्त होता है उसे अभियुक्तों के द्वारा आपस में बांट लिया जाता है तथा उसी से अपने परिवार का भरण-पोषण किया जाता है। उनके द्वारा अलग-अलग तरह के अवैध शस्त्र निर्मित किये जाते है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. चन्द्रभान विश्वकर्मा पुत्र बाबूराम विश्वकर्मा निवासी ग्राम सरसई थाना राठ जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 54 वर्ष)
2. विन्दा राजपूत पुत्र महिपाल राजपूत नि0 ग्राम टोला रावत थाना मझगवां जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 55 वर्ष)

बरामदगी का विवरणः-

1. 16 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज।
2. 02 अदद तंमचा 12 बोर नाजायज।
3. 01 अदद देशी रिवाल्वर 06 राउण्ड नाजायज।
4. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज व
   भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण।

(कुल बरामदगीः- 19 अदद निर्मित/अर्द्धनिर्मित तमंचा/रिवाल्वर व भारी मात्रा में शस्त्र बनाने वाले उपकरण)

अपराधिक इतिहास अभियुक्तगणः-

1.अभियुक्त चन्द्रभान का आपराधिक इतिहासः-

(i) मु0अ0सं0 203/2023 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना राठ जनपद हमीरपुर ।

(ii) मु0अ0सं0 70/2024 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर ।

2. अभियुक्त बिन्दा राजपूत का आपराधिक इतिहासः-

(i) मु0अ0सं0 70/2024 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक बृजमोहन थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर।

2. उ0नि0 सत्यप्रकाश पाण्डेय

3. उ0नि0 नरेन्द्र कुमार यादव

4. का0 मनोज कुमार

5. का0 ललित कुमार

6. का0 अभिषेक मौर्या